''शिक्षा अनुसन्धान व विकास संगठन, नई दिल्ली''

द्वारा प्रस्तावित

''नई शिक्षा नीति : 2015''

- पाठ्यक्रम व नवीन शिक्षण पद्धतियाँ (इलेक्ट्रानिक उपकरण)
- समान परीक्षा, प्रवेश प्रक्रिया व मूल्यांकन प्रणाली की समानता।
- अध्यापक चयन, नियुक्ति व प्रशिक्षण की कठोर प्रक्रिया (लिखित + साक्षात्कार)
- स्कूल, महाविद्यालय व विश्वविद्यालय कठोर मान्यता व मानदण्ड के अन्तर्गत स्थापित हो।
- ''राष्ट्रीय परीक्षा व शिक्षक सुधार कार्यक्रम'' चलाया जाय।
- शैक्षिक भ्रष्टाचार व मंहगाई पर रोक (विशेषतः पब्लिक, कान्वेन्ट व निजी संस्थानों में)
- नशा उन्मूलन व कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों की स्थापना।
- वृतिक, कृषि, अभियान्त्रिकी, वाणिज्यिक, सामान्य, वैज्ञानिक, विशेष शिक्षा
- योग, स्त्री अध्ययन, मानवाधिकार, पर्यावरण ललितकला गीत व संगीत की शिक्षा सभी स्तरों पर दी जाय।
- बहुशाखाओं, बहुसुविधाओं व बहुउद्देश्यीय स्तर पर राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना व विकास किया जाय।
- ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना व ग्रामीण विकास की शिक्षा

- भाषायी ज्ञान की अनिवार्यता (भारतीय व विदेशी भाषा संस्थानों/केन्द्रो की स्थापना)।
- शैक्षिक संस्थानों में आपसी प्रतियोगिता व प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जाय
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खोज व अविष्कार संस्थानों की स्थापना
- समान स्कूली वेशभूषा व पाठ्यक्रम पर बल
- मिल्क डे कार्यक्रम/राष्ट्रीय शैक्षिक रोजगार कार्यक्रम/राष्ट्रीय युवा प्रोत्साहन व विकास कार्यक्रम
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्पार्ट्स संस्थानों की स्थापना।
- राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शोध छात्रों को छात्रवृत्ति
- अखिल भारतीय शिक्षा सेवा/व न्यायिक सेवा का प्रावधान।
- शिक्षाशास्त्र विजय को सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में समाहित करना
- UGC, AICTE, NUEPA, NCTE, NCERT, CSIR आदि संस्थानों के अधिकार में वृद्धि हेतु समितियों का गठन।
- शासनिक व प्रशासनिक स्तर पर शिक्षा में बढ़ते अनावश्यक हस्तक्षेप पर रोक भूमिका मात्र समन्वयक, सुपरवाइजर, व प्रोमोटर की, नियंत्रक की नहीं)
- प्रशिक्षक उपाधि/प्रमाण पत्र NET/SET/JRF प्राप्त विद्यार्थियों को लिमिटेड कम्पनियों में नौकरी दी जाय अथवा प्राइवेट पढ़ाने पर एक सम्मानजनक वेतनमान दिया जाय।

प्राथमिक शिक्षा व उच्च प्राथमिक (कक्षा 1 से 8)

- ''स्वास्थ्य, शिक्षा व साक्षरता'' प्राथमिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण मिशन हो, पर्यावरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा, योग व स्वच्छता की शिक्षा को अनिवार्य रूप से दी जाय।
- प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सांसद व विधायक निधि से सौर लाइटें लगायी जाय साथ ही ''विद्यालय गोद'' लेने हेतु जनप्रतिनिधियों/ कलाकारों/उद्योगपतियों को प्रोत्साहित किया जाय।
- पब्लिक व कान्वेण्ट स्कूलों की मनमानी फीस वृद्धि, बस्ते के बोझ पर रोक लगायी जाय, इसके मान्यता व मानदण्ड हेतु एक रूपरेखा तय की जाय।
- जो व्यक्ति अथवा गैर सरकारी संगठन शिक्षा, साक्षरता, स्वास्थ्य , पर्यावरण के प्रति समर्पित व जागरूक है, उन्हें ग्राम, ब्लाक, तहसील व जिला स्तर पर ''परामर्श'' दाता नियुक्त किया जाय, विशेषतः उत्कृष्ट गैर सरकारी संगठनों से व्यक्तियों को।
- ''समान पाठ्यक्रम, समान प्रवेश प्रक्रिया व समान मूल्यांकन ''प्रणाली '' को पूरे राष्ट्र में लागू किया जाय।
- कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्य की जाय व कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति की जाय, व डिजिटल इण्डिया मिशन'' से इसे जोड़ दिया जाय।
- प्राथमिक शिक्षकों को अति आवश्यक कार्यो को छोड़कर अन्य शिक्षणेत्तर कार्यो से दूर रखा जाय।

- ''मिड डे मील'' कार्यक्रम के तहत सम्पूर्ण देश में ''मिल्क डे कार्यक्रम'' लागू किया जाय।
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर, सतर पर ''संख्यात्मक'' के बजाय ''गुणात्मक'' शिक्षा पर विशेष बल दियाजाय जिसके लिए ''शिक्षकों के ''चयन, प्रशिक्षण व नियुक्ति'' के मानदण्ड को कठोर बनाया जाय।
- योग्य शिक्षकों के लिए चयन का आधार '' राज्य स्तरीय शिक्षक नियक्ति/चयन परीक्षा'' हो प्राथमिक , माध्यमिक व उच्चशिक्षा में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार कैमरे की निगरानी में हो।
- अनाथ व झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, भिक्षाटन करने वाले, बच्चों में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु जनप्रतिनिधियों/ उद्योगपतियों/कलाकारों/साहित्यिक, सामाजिक व सांस्कृतिक ख्याति प्राप्त व सबल हस्तियों को आर्थिक सहायता देने हेतु प्रोत्साहित किया जाय।
- उच्च प्राथमिक स्तर पर संगीत कि कला, नृत्य, अभिनय, मूर्तिकला, आदि को बढ़ावा दिये जाने हेतु ''राष्ट्रीय सांस्कृतिक विकास संस्थान'' की स्थापना की जाय।
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा व साक्षरता को बढ़ावा देने में तत्पर गैर सरकारी संगठनों (NGO'S) को प्रोत्ससाहित किया जाय।
- प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में ''पाठ्यक्रम की रूपरेखा' निम्न प्रकार हो

सामान्य विषय – इतिहास, भूगोल, राजनीति+शास्त्र व

अर्थशास्त्र सम्मिलित रूप से (सामान्य ज्ञान)

वैज्ञानिक विषय – गणित, विज्ञान, भौतिक, रसायन , जीव विज्ञान, शारीरिक विज्ञान

विशेष विषय – योगा व खेलकूद , नैतिक शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा

भाषायी शिक्षा – हिन्दी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी (भारतीय भाषा व विदेशी भाषा, में वैकल्पिक रूप से कोई एक)

ललित कला – गायन, वादन, अभिनय, चित्रकला, नृत्यकला

- कठोर शारीरिक व मानसिक दण्डात्मक कार्यवाही के बजाय, गृह कार्य का दण्ड (पनिशमेन्ट), योगा करने का दण्ड, व्यायाम करने की शैक्षिक सजा दी जाय।
- विद्यालय से विद्यालय के बीच प्रतियोगिता (उच्च प्राथमिक स्तर पर) करायी जाय साथ ही एक विद्यालय के योग्य व अनुभवी शिक्षक को वर्ष में कम से कम 30 दिन अपने पास के किसी भी प्राथमिक विद्यालय या उच्च प्राथमिक व विद्यालय में जाकर ज्ञान देना अनिवार्य हो।

  1 से 5 × 1 से 5

  6 से 8 × 6 से 8

- प्राथमिक विद्यालयों में यह प्रतियोगिता जिला स्तरीय हो , विजेता की समुचित पुरस्कार राशि व प्रमाण पत्र दिया जाय।

माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 से 12)

- माध्यमिक स्तर पर कौशल विकास को बढ़ावा दिया जाय, तथा इसे तीव्र व्यवसायोन्मुखी बनाया जाय।
- शैक्षिक बेरोजगारी दूर करने हेतु '' राष्ट्रीय शैक्षिक रोजगार कार्यक्रम/अभियान'' को और तीव्र गति से बढ़ाया जाय।
- विद्यार्थियों की येाग्यता, रूचि व क्षमता के अनुसार ''कैरियर के विकल्प'' चयन हेतु प्रत्येक विद्यालय में ''कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्रों'' की स्थापना की जाय।
- हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट विद्यालयों के विद्यार्थियों की अपने आस पास के विद्यालयों से प्रतियोगिता करायी जाय।

  10 वीं × 10 वीं

  12 वीं × 12 वीं

- माध्यमिक स्तर पर बढ़ते नशाखोरी, दुष्प्रवृत्ति अवसाद आदि को दूर करने हेतु ''नशा उन्मूलन कार्यक्रम'' चलाया जाय।
- ''समान पाठ्यक्रम, समान प्रवेश प्रक्रिया व समान मूल्यांकन प्रणाली'' को लागू किया जाय।
- विज्ञान के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक संस्थानों (भौतिकी, रसायन, कृषि, रक्षा, जीव विज्ञान व गणित) कला वर्ग के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर के (गणित, वाणिज्य, व्यापार) आदि के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय

स्तर के व्यावसायिक, वाणिज्यिक, व व्यापारिक संस्थानों में कम से कम वर्ष में एक सप्ताह उनके ज्ञान व अनुभव में वृद्धि हेतु अवश्य ले जाया जाय।

- माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों के चयन हेतु ''लिखित परीक्षा में न्यूनतम व साक्षात्कार में न्यूनतम व अधिकतम'' अंक देने का प्रावधान हो जिससे शैक्षिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।
- माध्यमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक व प्राथमिक विद्यालयों में बी0एड0 व एम0ए0 कर पढ़ा रहे (प्राइवेट) विद्यार्थियों को सम्मान जनक व नियत वेतनमान देने हेतु '' अखिल भारतीय स्तर '' पर एक नियम बनाया जाय जिससे इन शारीरिक, व मानसिक शोषण रूक सके।
- प्राथमिक व माध्यमिक किसी भी स्तर पर पांच वर्षों से अधिक अध्यापन करने वाले अध्यापकों को नियमित करने, अथवा नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान देने का नियम बने।
- माध्यमिक स्तर पर शिक्षण हेतु ''वैज्ञानिक उपकरणों'' के उपयोग पर बल दिया जाय, साथ ही प्रत्येक विद्यालय में, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वाचनालय, शौचलय, कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्र अनिवार्य रूप से प्रबन्धित हो।
- माध्यमिक स्तर पर एक प्रतियोगिता राज्य स्तरीय हो, प्रतियोगिता सामान्य विषय, वैज्ञानिक विषय, वाणिज्यि का विषय, कृषि व तकनीकी, विशेष विषय (योगा, नैतिक शिक्षा, मानवाधिकार, नारीशिक्षा, पर्यावरण, कम्प्यूटर, खेलकूद व्यायाम) कला, गायन, वादन, नृत्य, अभिनय ललित कला किसी भी विषय में हो सकती है।

- माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम–

सामान्य विषय	–	इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र व गृह विज्ञान समाजशास्त्र
वणिज्यिक	–	पालिटिकनिक व आई0टी0आई
वैज्ञानिक विषय	–	भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित, रक्षाअ ध्ययन, सभी प्रकार की खेती का ज्ञान
विशेष	–	योग, शिक्षा, नारी शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, चित्रकला, मानवाधिकार, पत्रकारिता, प्रशासनिक क्षमता (लोक प्रशासन), पर्यटन।
ललित कला–	–	अभिनय, नृत्य, गायन, वादन, मूर्तिकला फिल्म व तैली विज्ञान, फैशन व डिजायनिंग
भाषा	–	हिन्दी , अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत के अलावा एक भारतीय भाषा अथवा विदेशी वैकल्पिक रूप से पढ़ना अनिवार्य हो।

- प्राथमिक व माध्यमिक दोनों ही स्तर पर, '' भारतीय व विदेशी भाषा अध्ययन केन्द्रों'' की स्थापना की जाय व वहां योग्य शिक्षकों की नियुक्ति की जाय।
- ''केन्द्रीय शिक्षा व शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान'' की स्थापना की जाय जो प्रत्येक तीसरे वर्ष पाठ्यक्रम का व प्रत्येक वर्ष शिक्षकों का परीक्षण

मूल्यांकन, संशोधन व परिवर्द्ध करे यह एक केन्द्रीय वस्वायत्त संस्थान है। जिसकी प्रत्येक राज्य में एक एक कार्यालय हों।

- प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर समपूर्ण देश में एक समान वेशभूषा लागू की जाय।
- व्यावसायिक से शैक्षिक व शैक्षिक माध्यमिक स्तर पर (विज्ञान से कला वर्ग) से व्यावसायिक (ITI] B.Com/ BBA) धारा मं परिवर्तन की छूट हो परन्तु इसका आधार रूचि व योग्यता ही हो।
- प्राथमिक स्तर में सेवारत शिक्षकों के शिक्षण व व्यवहार सम्बन्धी अनियमितताओं व विसंगतियों पर विद्यार्थियों के ''पैरेन्टस द्वारा'' व माध्यमिक व उच्च शिक्षण स्तर पर स्वयं विद्यार्थियों उनके पैरेन्ट्स व जांच कमेटी की रिपोर्ट पर 'राइट तू रिजेक्ट'' का अधिकार दिया जाय।
- ''योग शिक्षा'' को प्रत्येक स्तर पर अनिवार्य किया जाय व इसके शिक्षण हेतु योग शिक्षकों की नियुक्ति की जाय।
- ''राष्ट्रीय ग्रामीण गरीबी उन्मूलन व आर्थिक विकास कार्यक्रम'' चलाया जाय जो केन्द्र व राज्य दोनों के सहयोग से आगे बढ़े और जिसमें '' गैर सरकारी संगठना (NgO's) का पूर्ण सहयोग लिया जाय।
- ''राष्ट्रीय साक्षरता प्रौढ़ शिक्षा एवं कौशल विकास कार्यक्रम'' बनाकर उसे ''प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम (मिशन) से जोड़ दिया जाय।
- आंगनवाड़ी केन्द्रों को और उन्नत, सशक्त व जवाबदेह बनाया जाय, शिक्षा, स्वास्थ, चिकित्सा के ज्यादा से ज्यादा संसाधन मुहैया कराये जाय

उच्च शिक्षा

(स्नातक व परास्नातक डिग्री, डिप्लोमा व प्रमाण पत्र)

- केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने लायक बनाया जाय।
- विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में शीघ्रतिशीघ्र फैकल्टी की कमी को पूरा किया जाय तथा फैकल्टी क नियुक्ति को पूर्णत पारदर्शी व विश्वसनीय बनाने हेतु लिखित परीक्षा व साक्षात्कार (अधिकतम व न्यूनतम अंक देने के प्रावधान के साथ) को आधार बनाया जाय।
- मैल्टी ब्राचेस व मल्टी परपज व मल्टी फैसेलिटी वाले विश्वविद्यालय व महाविद्यालय को अपग्रेड किया जाय अन्यथा इस उद्देश्य तक न पहुंचने वालों को यथा समय (3–5 वर्षो के अन्दर) डिस्ग्रेडकर दिया जाय।
- नये मान्यता, मानदण्ड व मूल्यांकन सभी नव स्थापित विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के लिए बनाये जाय।
- ''समान पाठृयक्रम, समान प्रवेश परीक्षा व समान मूल्यांकन प्रणाली '' को विश्वविद्यालयों में अनिवार्यतः लागू किया जाय।
- शीघ्रातिशीघ्र देश के सभी विश्वविद्यालयों में ''इलेक्ट्रानिक शिक्षण'' उपकरणों की सुविधाा दे दी जाय।
- ग्रामीण विकास, स्त्री अध्ययन, मानवाधिकार, फैशन डिजायनिंग, विश्वपर्यटन, योग शिक्षा, लोक प्रशासन, रक्षा अध्ययन, पत्राकारिता, फिल्म व टेलीविजन अध्ययन को सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में स्नातक व परास्नातक शिक्षण स्तर पर अनिवार्य किया जाय।

- ''अखिल भारतीय शिक्षा सेवा '' Indian Education Services की व अखिल भारतीय न्यायिक सेवा Indian Judiciary services को जल्द से जल्द शुरू किया जाय।
- ''मदन मोहन मालवीय शिक्षक व शिक्षा मिशन'' (25 दिसम्बर 2014) को तीव्रगति दी जाय।
- भारतीय व विदेशी भाषाओं के ज्ञान को वैकल्पिक रूप से प्रत्येक विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में अनिवार्य किया जाय।
- UGC, NCTE, AICTE, NUEPA, NCERT, SCERT को और ज्यादा सक्षम व साधिकार बनाने हेतु ''समिति का गठन'' किया जाय।
- अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान व तकनीकी शोध संस्थान की स्थापना की जाय।
- उच्च स्तर पर National Educational Employment Programe (NEEP) शुरू किया जाय जिसका उद्देश्य उच्च स्तर की शैक्षिक बेरोजगारी को दूर करना हो।
- अखिल भारतीय सेवाओं व राज्य स्तरीय सेवाओं में ''शिक्षाशास्त्र'' को मुख्य विषय के रूप में रखा जाय।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्पोर्टस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय जहां सभी प्रकार के खेलों का समुचित प्रशिक्षण दिया जाय जो कि अवासीय विश्वविद्यालय हो जिनका विशेष उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को पहचान देना हो

- पुस्तकालय, वाचनालय, शौचालय, आवागमन व समुचित शिक्षण उपकरणों से विश्वविद्यालयों को लैस किया जाय वाई–फाई व सी0सी0टी0वी कैमरों से संस्थानों को लैस किया जाय)
- महिलाओं में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु "All India women technical education scholarship" देने का प्रावधान हो।
- मकतबो व मदरसो में समान राष्ट्रीय शिक्षा पाठ्यक्रम लागू किया जाय
- प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक ''सर्वधर्म सुसार संग्रह'' नाम से पाठ्यक्रम लागू किया जाय जिसमें विश्व के सभी धर्मो के महान पुरूषों राष्ट्रीय नेताओं, की जीवनियां व उपदेश हो।
- ''रक्षा व प्रौद्योगिकी'' के विकास हेतु ''राष्ट्रीय रक्षा एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय/संस्थान'' की स्थापना की जाय।
- "National Council for the education of girls and women" का गठन किया जाय।
- ग्रामीण विश्वविद्यालयों में ग्राम्य प्रशासन, ग्राम्य विकास, ग्राम्य समाजशास्त्र, ग्राम्यनियोजन, ग्राम्य चिकित्सा, ग्राम्य कृषि व भूमि सुधार को आधार बनाया जाय।
- व्यवसाय, तकनीकी सूचना व संचार, समाजशास्त्र, मानवाधिकार, प्रशासनिक क्षमताओं, वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान, ललितकला और गायन, वादन, नृत्य संगीत, चित्रकला मूर्तिकला में रक्षा प्रतिभा शाली व होनहार युवकों को मानव संसाधन व ग्रामीण विकास कार्यक्रम से जोड़ना चाहिए।

- UGC-NET/JRF/CSIR/GATE उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का एम0फिल0 /एम0टेक/ पी0एच0डी में प्रवेश का मानक राष्ट्रीय स्तर पर समान हो न कि कहीं एकेडमिक, कहीं लिखित परीक्षा, कही केवल साक्षात्कार, तो कहीं लिखित परीक्षा+ साक्षात्कार, कहीं लिखित परीक्षा + एकेडेमिक अंक+ साक्षात्कार।
- लिखित परीक्षा के 50 प्रतिशत UGC- NET/JRF/CSIR/GATE के (20 प्रतिशत अंक / एकेडमिक (10 प्रतिशत स्नातक + 10 प्रतिशत परास्नातक)+ 20 प्रतिशत साक्षात्कार के लिए अंक निर्धारित हो और शोध में प्रवेश हेतु परीक्षा ''अखिल भारतीय स्तर पर अथवा राज्य स्तरीय हो अर्थात ''संयुक्त केन्द्रीय विश्वविद्यालय शोध प्रवेश परीक्षा अथवा संयुक्त राज्य स्तरीय शोध प्रवेश परीक्षा''
- UGC द्वारा पात्रता परीक्षा NET, JRF, CSIR, GATE शामिल होने की एज लिमिट हो।
- नेट पहले , दूसरे, तीसरे पेपर को अलग–अलग चरणों में कराया जाना चाहिए।
- इसी प्रकार स्नातक व परास्नातक में प्रवेश हेतु ''केन्द्रीय विश्वविद्यालय यू0जी0/पी0जी0 प्रवेश परीक्षा'' अथवा ''संयुक्त राज्य विश्वविद्यालय यू0जी0/पी0जी0 प्रवेश परीक्षा ली जाय और प्राप्तांकों के आधार पर विश्वविद्यालय व महाविद्यालय का आवंटन होता चला जाय।
- सभी वर्ग की महिलाओं को शिक्षा के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराये जाय, गरीब सवर्ण परिवार की एवं OBC/SC/ST व अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं का शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाय।

- गरीब परिवार के छात्राओं को (जो सा0वर्ग की हे) उनके लिए पद आरक्षित लाभ दिया जाय।
- विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में बी0एड0, एम0एड0, एम0 फिल0 पी0एच0डी0 / नेट स्लेट + जे0आर0एफ उत्तीर्ण कर प्राइवेट पढ़ाई पढ़ा रहें है विद्यार्थियों / शोधार्थियों / अध्यापकों को एक सम्मानजनक वेतनमान देने का प्रावधान किया जाय। (वर्तमान में ये 5 से 10 हजार मासिक पर 6 घण्टे पढ़ाते है व कार्यालय के अन्य काम करते है)
- फैकल्टी को चयन हेतु योग्यता को प्रथम प्राथमिकता दी जाय।
- राज्य विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों से एम0फिल0 / पी0एच0डी0 (कर रहे NET/SET उत्तीर्ण शोधार्थियों दस हजार) मासिक शोधवृत्ति देने का प्रावधान किया जाय। जिसके वे अपने शोध को आगे बढ़ा सके व निश्चिन्ततापूर्वक आगे पढ़ कसे।
- ''राष्ट्रीय युवा प्रोत्साहन व विकास कार्य संचालित किया जाता है जो उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान, तकनीकी, कृषि, शिक्षा चिकित्सा उद्योग विकास, सूचना व संचार, स्वास्थ्य में शोध व अनुसन्धान कार्य हेतु मार्गदर्शन, सुविधा व प्रोत्साहन दे।
- NEt/SET/GATE/CSIR उत्तीर्ण विद्यार्थियों को मल्टी नेशनल व प्राइवेट कम्पनियों में मानव संसाधक प्रबन्धक, परामर्शदाता आदि के रूप में रखा जाय।
- भारतीय राष्ट्रीय संस्थानों विज्ञान व प्रौद्योगिकी संस्थानों, विश्वविद्यालयों की भूमिका वैश्विक स्तर पर खोज आविष्कार, सृजन एववं सहयोगिकी हो,

वैश्विक स्तर पर नाम रोशन करने वाली प्रतिभाओं के विकास की हो न की महज डिग्रियां बांटकर (खानापूर्ति करने की) अपने कर्तव्यों की इति श्री करने में।

- हमारे माध्यमिक विद्यालय आई0टी0 आई0 व पॉलिटेक संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाओं के विकास के प्रमुख ''टेलेन्ट हब'' हो, जो विद्यार्थियों के शक्ति, समय व प्रतिभा का भरपूर सदुपयोग कर सके व व्यक्ति समाज राष्ट्र व विश्व के विकास में उनकी ज्यादा से ज्यादा सह भागिता सुनिश्चित कर सकें।

अन्य बिन्दु

- प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों के रिक्त पदो व डिग्री कोर्स के बीच संतुलन बनाया जाय यह नहो कि महज हजार सीटों के सापेक्ष लाखों बच्चों को बी0एड0/एम0एड0/ एम0एड0/ एम0फिल/ पी0एच0डी0 की डिग्री बांट दी जाय,, यह गरीब विद्यार्थियों के आर्थिक शोषण का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है।
- प्राथमिक, माध्यमिक स्तर पर महज एक फार्म भरने से राज्य स्तर पर मेरिट बनाकर शिक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान हो न कि सभी जिलों में महंगे फार्म भरवाकर उनका आर्थिक शोषण हो।
- किसी भी रिक्त सीटों पर केवल एक बार ही आवेदन खर्च लिया जाय।
- CTET को सम्पूर्ण राज्यो में समान महत्व दिया जाय, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति में CTET सभी राज्यों में मान्य हो।

- Right to Education व Yashpal जी की Report सभी बिन्दुओं को पूर्णतया लागू किया जाय, शिक्षक व छात्र अनुपात सुधारा जाय।
- आर्थिक रूप से गरीब व कमजोर ''सवर्णो के लिए एक ''गरीब स्वर्ण सहायता व विकास कार्यक्रम'' लागू किया जाय जिसके अन्तर्गत स्वर्ण मजदूर , किसान, मोची, हथकरघा चालकों, रिक्शा चालकों आदि के बच्चों को छात्रवृत्ति , फार्म शुल्क में 50 प्रतिशत छूट, आदि का प्रावधान हो।
- एक निश्चित समयावधि किसी भी पद पोस्अ की रिक्त सीटों को एक निश्चित समयावधि में पूर्ण करवाया जाय, जो राज्य/संस्था/सरकार/नहीं पूर्ण करती/करवापाती तो / है उस पद/ पोस्ट को 'सेन्ट्रल सरकार8 पूर्ण करायेगा सुप्रीम कोर्ट जैसा कहे।
- ''चलों गांव की ओर'' कार्यक्रम बनाया जाय व महानगरों से शहरों या शहरों से कस्बो, कस्बो से गांवों की ओर तीव्रगामी व समावेशी शैक्षिक विकास कार्यक्रम लान्च किया जाय।
- गांवों को भारत के सबसे बड़े ''आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक'' विकास की धुरी बनायी जाय, जो आर्थिक संससाधनों, संचार व सूचना प्रौद्योगिकी, औद्योगिक, व शैक्षिक संस्थानों के विकास से ही सम्भव हो सकती है अतः इसे ''सांसद व विधायक आदर्श ग्राम योजना'' से जोड़ दिया जाय।
- प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान को अन्तराष्ट्रीय व प्रत्येक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर के, साहित्यकार, वैज्ञानिक, समाजशास्त्री शिक्षाविद, राजनीतिज्ञकारों, व्यवसायी को अपने यहां प्रत्येक महीने ''लेक्चर के लिए बुलाना अनिवार्य हो।

- All India poors and disabled children Funds की स्थापना की जाय जिसका उद्देश्य सभी वर्गो के गरीब विद्यार्थियों व अक्षम विद्यार्थियों की समय–समय पर आर्थिक सहायता करना हो।

"नई राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2015"

निर्माण के लिए सुझाव हेतु प्रमुख ऐच्छिक बिन्दु

(न्यूनतम 200 व अधिकतम 500 शब्दों में)

1. शिक्षाः विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी/संचार व सूचना
2. शिक्षाः अनुसन्धान एवं विकास
3. शिक्षाः शासकीय व प्रशासकीय हस्तक्षेप
4. शिक्षकः चयन न प्रशिक्षण व नियुक्ति मानदण्ड
5. शिक्षा एवं प्रशासन
6. शिखा व ग्राम्य विकास
7. शिक्षा व नैतिक विकास व सर्वधर्म सार शिक्षण
8. शिक्षा व आर्थिक संसाधन
9. शिक्षा वनयी जांच समिति व आयोग
10. शिक्षा एवं व्यवसायीकरण
11. शिक्षा एवं राष्ट्रीयता अन्तराष्ट्रीयता
12. शिक्षाः वाणिज्य कृषिव उद्याग, पशुपालन
13. शिक्षा व तकनीकी संसाधन
14. शिक्षा मानवाधिकार एवं मीडिया
15. शिक्षाः राइट टू इन्फार्मेशन राइट सजेस्टर व राइट टू रिजेक्ट
16. शिक्षाः महिला एवं बाल विकास
17. शिक्षा एवं अल्पसंख्यक वर्ग, एस0सी0एस0टी0 ओ0बी0सी0 वर्ग
18. शिक्षाएवं गैर सरकारी संगठनों की भूमिका

19. शिक्षा एवं रोजगार कार्यक्रम

20. शिक्षा एवं सांस्कृतिक विकास

21. शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थ व पाठयक्रम निजी शिक्षण संस्थान व प्राइवेट शिक्षको का शोषण

22. शिखा व पर्यावरण व स्कूलों में ऊर्जा संसाधन

23. शिक्षा व साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा

24. शिक्षा साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा

25. शिक्षा एवं नवीन पाठयक्रम

26. शिक्षा एवं समन्वित पाठयक्रम

27. शिक्षा एवं मानवतावाद / शिक्षा व योग शिक्षा

28. शिक्षा एवं युवा विकास व खेलकूद

29. शिक्षा एवं ग्रामीण रोजगार व यातायात सुविधा

30. शिक्षा एवं रक्षा अध्ययन

31. शिक्षा एवं स्वच्छता / शिक्षा एवं यातायात संसाधन

32. शिक्षा एवं शिक्षा में एस0सी0 / एस0टी0 और ओ0बी0सी0 आरक्षण क्यों?

33. शिक्षा एवं न्यूनतम अर्हक अंक की सीमा

34. शैक्षिक भ्रष्टाचार व मंहगाई, नशामुक्ति व कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्र

35. शिक्षा, शोध व शोधार्थी

36. शिक्षाः डिग्री व रोजगार के बीच संतुलन

37. शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी व शिक्षण संसाधन

38. शिक्षा एवं सवास्थ्य व चिकित्सा संसाधन

39. शिक्षा एवं भारतीय व विदेशी भाषा शिक्षण

40. शिक्षा एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय

41. शिक्षा एवं ग्रामीण विश्वविद्यालय

42. शिक्षा व अन्तर्राष्ट्रीय आविष्कार व खोज

43. राज्य स्तर पर नेट, सेट शोधार्थियों हेतु छात्रवृत्ति

44. शिक्षाः सामाजिक कुरीतियां व रूढिबद्धता

45. शिक्षा पर धार्मिक संगठनों का अनुचित दबाव

46. शिक्षा एवं गरीब स्वर्ण छात्रवृत्ति योजना

47. शिक्षा एवं शैक्षिक बोझ से खोता बचपन

48. अखिल भारतीय शैक्षिक, न्यायिक व पर्यावरणिक सेवा का प्रावधान

49. एन0सी0सी0 / एन0एस0एस0 / नेहरू युवा केन्दो / के0वी0एस0, एन0वी0एस0 प्राथमिक 50 जन जागरूकता व शिक्षा

50. जन जागरूकता व शिक्षा

सुझाव आमंत्रण के विषय बिन्दुवार

1. पाठयक्रम – भाषा/ शारीरिक शिक्षा/योगा/मानवाधिकार/स्त्री अध्ययन/ गीत संगीत, गायन, वादन अीिनय, लोक प्रशासन/नैतिक शिक्षा/ पर्यावरण/मानवाधिकार/पर्यटन शिक्षा/कम्प्यूटर शिक्षा/ विज्ञान/कला (चित्र मूर्तिकला)/ वाणिज्य/कृषि/रक्षा अध्ययन (किन–किन स्तरो पर किसे शामिल किया जाय)

2. शिक्षकः चयन व नियुक्ति मान दण्ड है? प्राथमिक स्तर (लिखित परीक्षा 80 प्रतिशत)+ एकेडमिक 10 प्रतिशत साक्षात्कार 10 प्रतिशत अंक

उच्च शिखा सतर : लिखित परीक्षा (70 प्रतिशत)+ एकेडमिक 20 प्रतिशत + साक्षात्कार 10 प्रतिशत अंक

3. विद्यालय स्थापना मानदण्ड : क्यों व कैसे ? (प्रशासन, प्रबन्धन व नियन्त्रण, तीनो स्तरों पर प्रौद्योगिक माध्मक व उच्च

4. शिक्षण विधि : क्या–क्या शामिल हो ? (तकनीी के द्वारा शिक्षण सभी स्रों पर उच्च

5. छात्रवृत्तिया : किसे, क्यों व कितनी ? विशेषतः मजदूर, गरीब किसान, अनाथ, गरीब स्वर्ण/विकलांग/ ओ0बी0सी0/एस0सी0/एस0टी0 अल्पसंख्यकों सिक्ख, जैनव बौद्ध मुस्लिम

6. वेशभूषा व अन्य सुविधाएंः शौचालय पत्र, पुस्तकालय व छात्रावास कैरियर काउन्सिलिंग केन्द्र, नशा उन्मूलन व केन्द्र

7. शिक्षकों का वेतनः क्यों व कितना ? निजी व सरकारी संस्थानों में पढत्राने वालों का अलग अलग

8. शिक्षा व शिखक जांच समितिः क्यों व कैसे निर्धारित हो ? क्षेत्रीय, जिला व राज्य सतर पर प्राथमिक शिखा व स्तर क्षेत्रीय जिला, राज्य व रेशस्तर पर

9. समान प्रवेश परीक्षा व समान मूल्यांकन प्रणालीः क्यों व कैसे हो निर्धारित ?

10. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किन किन संस्थाओं की आवश्यकता? विज्ञान, वाणिज्य प्रौद्योगिक, कला, रक्षरा, साहित्यिक, सामाजिक, संस्कृतिक व राजनैतिक सभी स्तरों पर

11. शिक्षा व अन्य सेवायेः अखिल भारतीय शिक्षा, पर्यावरण वन्यायिक सेवा

12. शैक्षिक नियामक संगठनों का पुनर्गठनः क्यों व कैसे ? सभी वर्गो के कला, विज्ञान, वाणिज्य, सामाजिक, सांस्कृतिक शैक्षक

13. राज्य स्तरीय नेट/सेट उत्तीर्ण शोधार्थियों को छात्रवृत्ति क्यों व कितनी ?

14. शोध प्रवेश का लिखित परीक्षा 60 प्रतिशत + यू0जी0सी0 अंक 20 प्रतिशत + एकेडमिक 10 प्रतिशत साक्षात्कार 10 प्रतिशत

15. शिक्षण संस्थानों को बहुउद्देशीय, बहुशाखीय, बहुसुविधाओं से युक्त कैसे किया जाय?

16. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर : खोज, आविस्कार, खेलकूद व साहित्यि सृजन को कैसे बढ़ाया जाय।

17. महिला शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाय /एन0सी0सी/एन0एस0एस0/नेहरू युवा केन्द्र वगैर सरकारी संगठनों की भूमिका को शिक्षा व स्वच्छता का कैसे बढ़ाया जाय।

<u>नई शिक्षा नीति : 2015</u>

(प्रस्तावक/अनुमोदनकार्ता/ संकलनकर्ता)

विशेष प्रमुख शिक्षाविद् प्रो0 यशपाल जी

पूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0)
व सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार
एवं पद्मविभूषण, पद्मभूषण एवं कलिंग पुरस्कार प्राप्त

विशेष प्रस्तावक :–

स्वदेश कुमार, अध्यक्ष, शिक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन
आदेश कुमार, सचिव, शिक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन
सत्यबिन्दु कुमार, उपसचिव
सुरेन्द्र कुमार अग्रवाल, निदेशक शिक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन
विनोद कुमार, तकनीकी निदेशक शिक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन

परियोजना विशेषः–

प्रो0 एस0पी0 गुप्ता (आचार्य, उ0प्र0 रा0 टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी उ0प्र0 पूर्व प्रधानमंत्री व श्री मुरली मनोहर जोशी जी (पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री) से पुरस्कार प्राप्त)
डॉ0 देवेश रंजन त्रिपाठी (सहायक आचार्य, उ0प्र0 रा0 टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद उ0प्र0)

राज्य निदेशक के अन्य सदस्यः–

सतीश बाबू शिक्षा अनुसन्धान एवं विकास संगठन

देवेन्द्र कुमार गोस्वामी अनुसन्धान एवं विकास संगठन

निदेशक मण्डल के अन्य सदस्यः–

प्रमुख प्रस्तावक व संकलन कर्ता राष्ट्रीय सेमिनार आयोजक

अमित कुमार पाण्डेय (संभागीय निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद उ0प्र0)

प्रयांशु (उप संभागीय निदेशक, इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद उ0प्र0)

जगदीश सिंह (संभागीय निदेशक, आगरा मण्डल, आगरा उ0प्र0)

मोहन सिंह (संभागीय निदेशक, गुडगाँव मण्डल, गुडगाँव हरियाणा)

डॉ जयूर रहमान चौहान (संभागीय निदेशक, बीकानेर मण्डल, बीकानेर राजस्थान)